बिहार सरकार

बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण

(योजना एवं विकास विभाग)

पत्रांकः – ब्लाडा (लेखा) 02 / 06 / 2022 244 / पटना, दिनांक 10 जून, 2025

आदेश

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल–01, पटना का पत्रांक 1783 दिनांक 02.06.2025 के आलोक में उक्त कार्य प्रमंडल को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत विषेश योजना मद से निम्नलिखित विशेष योजनाओं के लिए राशि विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(राशि लाख रूपये में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	तकनीकि स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वित्तीय वर्ष	वर्तमान में विमुक्त की जाने वाली राशि
1	2	3	4	5	6
1	मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत विशेष योजना मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 में पटना जिला के मेला स्थान विकास योजनान्तर्गत "प्राचीन विरासत स्थल बड़ी पटन देवी के मुख्य भवन के नींव के सुदृढ़ीकरण"	₹1,75,92,905/- (एक करोड़ पचहत्तर लाख बानवे हजार नौ सौ पाँच रूपये मात्र)	₹1,75,92,905/- (एक करोड़ पचहत्तर लाख बानवे हजार नौ सौ पाँच रूपये मात्र)	2025-26	₹1,75,92,905/- (एक करोड़ पचहत्तर लाख बानवे हजार नौ सौ पाँच रूपये मात्र)
	कुल राशि				**₹1,75,92,905.00**

तद्नुसार लेखा शाखा ब्लाडा को उपर्युक्त विवरणी के स्तभ–**6** में अंकित राशि यथा कुल राशि **₹1,75,92,905/-** लाख **(एक करोड़ पचहत्तर लाख बानवे हजार नौ सौ पाँच रूपये)** मात्र कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल–01, पटना को **CFMS** के माध्यम से राशि अंतरण करने का आदेश दिया जाता है।

शर्तेः–

(1) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जिस विशेष योजना के लिए राशि आवंटित की जा रही है, उसी स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही राशि व्यय की जाएगी।

(2) आवंटित राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। आवंटित राशि का विचलन होने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(3) विशेष योजना के लिए स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित संपूर्ण राशि का व्यय करते हुए यथा ससमय नियमानुसार प्राक्कलन के विशष्टियों के अनुरूप कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय। ससमय कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में योजना प्राक्लन की राशि में किसी प्रकार की बढ़ोतरी होती है, तो इसकी सारी जवाबदेही संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी।

(4) कार्यकारी एजेंसी का यह दायित्व होगा कि योजना के पूर्ण कार्यान्वयन के पश्चात् शेष बची राशि को बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना को वापस करना सुनिश्चित करेंगें।

(5) कार्यकारी एजेंसी योजना कार्यान्वयन पर व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC Form 27C एवं 27C1 में ससमय बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (ब्लाडा), को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(6) इस आवंटित राशि का व्यय में प्रासंगिक वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियमावली में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करेगें।

(7) आवंटित राशि का व्यय मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, विशेष योजना मद के लिए स्वीकृत राशि के विरूद्ध ही किया जायेगा। इस राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की अन्य योजनाओं के विरूद्ध नहीं किया जायेगा।

ह0/–
(रणजीत कुमार)
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी,

ज्ञापांकः– ब्लाडा (लेखा) 02/06/2022 244 /पटना, दिनांक 10 जून, 2025

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रशासी पदाधिकारी, (MKVY प्रभारी) योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।
6. अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।
7. जिला योजना पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. लेखा शाखा, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण को **CFMS** के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल–01, पटना को **₹1,75,92,905/-** लाख **(एक करोड़ पचहत्तर लाख बानवे हजार नौ सौ पाँच रूपये)** मात्र **Fund Transfer** करने हेतु प्रेषित।
9. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल–01, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
10. श्री सुदामा कुमार, आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/6/25
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी